न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 56/21

GCMS id : 2021 / 181

1. सीमा बाई पत्नी राधेश्याम, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. रोहन पुत्र राधेश्याम, आयु 15 वर्ष
3. राधिका पुत्री राधेश्याम, आयु 11 वर्ष
   नाबालिगान जरिये वली माता सीमा बाई पत्नी राधेश्याम, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– अप्रार्थी (वादीगण)

1. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. मोहनलाल नागर पुत्र आनन्दीलाल नागर, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 2/288, गणेश तालाब, कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रार्थी (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92(ए)ए 188 राज. टी. एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति : श्री दयाराम सेन, अभिभाषक वादीगण
श्री जितेन्द्र चौरसिया, अभिभाषक प्रतिवादी–2

निर्णय O_7R_{11} CPC

दिनांक : 04.08.2022

1- प्रार्थी (प्रतिवादी क्रम 2) की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत नामंजूर किये जाने वाद, न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में निवेदन किया गया कि –

~ प्रतिवादी क्रम–2 द्वारा, प्रतिवादी क्रम–1 से विवादित आराजी का जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया गया, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस पर प्रतिवादी क्रम–2 कब्जा प्राप्त कर काश्त करता चला आ रहा है।

~ प्रतिवादी क्रम 1 को उक्त आराजी दान में प्राप्त हुई थी। इस कारण उक्त कृषि आराजी पूर्ण रूप से प्रतिवादी क्रम–1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होने के कारण प्रतिवादी क्रम–1 को उक्त सम्पत्ति विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी क्रम–1 के जीवनकाल में वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक एवं हिस्सा नहीं बनता है।

~ वादीगण को उक्त कृषि आराजी प्रतिवादी क्रम–1 के द्वारा विक्रय करने बाबत पूर्ण जानकारी थी तथा वादीगण की जानकारी एवं उपस्थिति में ही प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा प्रतिवादी क्रम–2 को आराजी का बेचान किया गया है। विवादित

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

आराजी प्रतिवादी क्रम–1 के तन्हा खातेदारी की आराजी थी तथा पैतृक अथवा पुश्तैनी आराजी नहीं थी। इस कारण वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर वाद कारण के अभाव में पेश वाद वादीगण तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि –

≈ विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 की स्वअर्जित आराजी नहीं है बल्कि पैतृक सम्पत्ति है। इस कारण प्रतिवादी क्रम–1 को उक्त आराजी को रहन, बैय हिबा हस्तान्तरण आदि करने का अधिकार नहीं थां।

≈ तथाकथित विक्रय पत्र अवैधानिक है।

≈ वादीगण द्वारा सही प्रकार से दावा किया गया है जो हर प्रकार चलने योग्य है तथा प्रतिवादी नं2 का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

≈ अतः निवेदन है कि प्राथ्रना पत्र आर्डर 7 रूल 11 खारिज किया जाकर वाद का निस्तारण मरिट्स पर किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC का जवाब पेश होने के उपरान्त हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र O_7R_{11} CPC सुनी गई –

🗣 प्रार्थी (प्रतिवादी–2) अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी क्रम–1 से विवादित आराजी क्रय की गई है। प्रतिवादी क्रम–1 को उक्त आराजी दान में प्राप्त होने से वह उसकी स्वर्जित आराजी है जिस पर वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त कृषि आराजी के बाबत लिखे गये इकरारनामा दिनांक 06.06.2019 पर पर वादिनी के बतौर गवाह हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि वादिनी को इस विक्रय की भी पूर्ण जानकारी थी। अतः वादिनी की जानकारी व गवाही में तैयार इकरारनामा दिनांक 06.06.2019 के आधार पर ही आराजी का का बेचान होने से वादीगण को उक्त वाद का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वाद वादीगण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

🗣 अप्रार्थी (वादी) अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 की स्वअर्जित आराजी न होकर, पैतृक आराजी है। जिसे रहन, बेचान करने का प्रतिवादी क्रम–1 को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज कर वाद का निस्तारण मेरिट्स पर किया जावे।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत (मुख्यतः) निम्नलिखित दशाओं में वादपत्र नामंजूर किया जा सकता है –

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है।
(ग) जहां वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है।
(घ) जहां वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
(ड) जहां वाद दो प्रतियों में पेश नहीं किया हो।
(च) वादी नियम 9 के परन्तुकों का पालन करने में असफल रहता हो।

6- प्रतिवादी क्रम–2 (प्रार्थी) की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र में *वादीगण को वाद पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने* सम्बन्धी Substantial Question उठाया गया है। उक्त Substantial Question के परिप्रेक्ष्य में हमने, उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की सुनी गई बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन–अध्ययन किया, जिसके आधार पर प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC में उठाये गये विवादित बिन्दु का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है –

वादीगण को वाद पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ : प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी (प्रतिवादी क्रम–2) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 की पैतृक आराजी नहीं है बल्कि यह आराजी उसको दान में प्राप्त हुई है जिससे वह उसकी स्वअर्जित आराजी है। वादीगण द्वारा वादपत्र के चरण–7 में वाद कारण उत्पन्न होने का उल्लेख किया है। वाद कारण उत्पन्न होने के जो कारण अंकित किये गये है वे भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057 एवं 2061–2064 के अनुसार विवादित आराजी बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण तथा लक्ष्मीनारायण पुत्र देवा के खाते दर्ज थी। प्रतिवादी की ओर से पेश नकल नामान्तरकरण संख्या 287 के अनुसार बृजमोहन ने अपना 1/2 हिस्सा राधेश्याम को तथा लक्ष्मीनारायण ने अपना 1/2 हिस्सा रामस्वरूप को जर्ये रजिस्टर्ड दानपत्र, दान किये जाने से प्रतिवादी क्रम 1 के लिये उक्त आराजी दान में प्राप्त होने से वह उसकी स्वअर्जित आराजी है तथा जिससे प्रार्थी क्रम–1 अपनी स्वअर्जित आराजी का उपयोग उपभोग करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत किसी दावे में वाद कारण उत्पन्न नहीं हो तो ऐसा दावा चलने योग्य नहीं होता है। अतः किसी ठोस वाद कारण के अभाव में वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 04.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – पार्थवी, R.A.S.

बउनवान –

1. सीमा बाई पत्नी राधेश्याम, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. रोहन पुत्र राधेश्याम, आयु 15 वर्ष
3. राधिका पुत्री राधेश्याम, आयु 11 वर्ष
   नाबालिगान जरिये वली माता सीमा बाई पत्नी राधेश्याम, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– अप्रार्थी (वादीगण)

1. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. मोहनलाल नागर पुत्र आनन्दीलाल नागर, जाति धाकड, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 2/288, गणेश तालाब, कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रार्थी (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,89,90,91,92A,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 56 / 21
निर्णय दिनांक : 04-08-2022

GCMS id : 2021 / 181

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री दयाराम सेन तथा प्रतिवादी अभिभाषक श्री जितेन्द्र चौरसिया की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की बहस सुनने के बाद आज तारीख 04–08–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, वादीगण की ओर से पेश वाद में वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 बाधित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी) अन्तर्गत O_7R_{11} CPC स्वीकार कर, वाद वादीगण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 04 अगस्त, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Parth

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		